कार्यालय जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स देहरादून।

नन्दा की चौकी, चकराता रोड़, देहरादून। पिन कोड–248007 ईमेल–dchgdehradun@gmail.com

पत्र सं0:– डी0सी0 / दो–4 / होगा / 2026–27 / 112 दिनांकः अप्रैल 30 ,2026

''विस्तृत विज्ञप्ति''

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 100523 / XX(2)/23-02(04)/2023 गृह अनुभाग–2 दिनांकः 20 फरवरी, 2023, शासनादेश संख्याः 140946 / XX(2)/23-25(हो0गा0)/2014 गृह अनुभाग–2 दिनांकः 26 जुलाई, 2023, शासनादेश संख्याः 64 / XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, देहरादून दिनांकः 07 मार्च 2019, शासनादेश स0–103, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 30 अगस्त 2024, शासनादेश संख्याः 61 / XXX(2)/2025 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 30 मई 2025 ,शासनादेश संख्याः 124 / XXX(2)/2020-53(01) / 2001 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून दिनांकः 22 मई 2020 कम में एवं होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांकः सीजी–210 / हो.गा. / 2022 / 2207 दिनांकः जुलाई 27, 2023, पत्रांकः सीजी–210 / हो.गा. / 2012 / 2293 दिनांकः अगस्त 02, 2023, सीजी– / 133VI / हो.गा. / 2018 / 47 दिनांकः अप्रैल 02, 2026, सीजी– / 133V / हो.गा. / 2018 / 259 दिनांकः अप्रैल 13, 2026 एवं सीजी– / 133VI / हो.गा. / 2018 / 639 दिनांकः अप्रैल **28, 2026** के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के परिपालन में जनपद देहरादून, में माह–जून 2026 तक **पुरूष होमगार्ड्स स्वयंसेवकों** के कुल रिक्त **152 पदों** पर भर्ती किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के कम में जनपद देहरादून, के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार :–

पुरूष होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के पद (स्वीकृत संख्या–1038, उपलब्ध संख्या–886, रिक्त–152)						
क0सं0	वर्गवार विवरण	रिक्त संख्या	क्षैतिज आरक्षण			
			उत्तराखण्ड अनाथ बच्चे	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित
1	**UR**	111	05	02	05	11
2	**SC**	20	01	01	01	02
3	**OBC**	00	——	——	——	——
4	**ST**	06	——	——	——	01
5	**EWS**	15	01	——	01	01
कुल योग–		152	07	03	07	15

उक्त पद केवल देहरादून जनपद के अर्ह स्थायी निवासियों से ही भरे जाने हैं। ऐसे इच्छुक एवं अर्ह पुरूष अभ्यर्थी आवेदन–पत्र का प्रारूप दिनांकः 01.05.2026 से दिनांकः 22.05.2026 तक निःशुल्क किसी भी कार्यालय दिवस में जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स कार्यालय, देहरादून, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, के नोटिस बोर्ड / कार्यालय के फेसबुक पेज **Dehradun Homeguards** से प्राप्त / डाउनलोड कर सकते हैं, तथा निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे आवेदन–पत्र व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय में जमा कर सकते हैं । आवेदन पत्र जमा किये जाने की **अन्तिम तिथि दिनांकः** 22.05.2026 की **रात्रि** 11:59 **बजे तक** निर्धारित हैं, तत्पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। समयान्तर्गत व्यक्तिगत रूप तथा डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन की सूचना कार्यालय के फेसबुक पेज **Dehradun Homeguards** पर उपलब्ध रहेंगी। पुरूष अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, एवं **UR/OBC/SC** के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उंचाई 165 से0मी0, **ST** अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उंचाई 157.50 से0मी0 तथा पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम उंचाई 160 से0मी0 होना अनिवार्य है। आयु की गणनाः अभ्यर्थी की आयु दिनांकः 01.01.2026 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। विस्तृत विज्ञप्ति के अध्ययन उपरान्त ही आवेदन फार्म भरने की कार्यवाही करें। बिना स्वप्रमाणित, त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि / समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश

1 पुरूष होमगार्ड्स स्वयंसेवकों, की भर्ती **जनपद देहरादून के सम्पूर्ण क्षेत्र से** की जायेगी। अतः आवेदन करने वाले पुरूष अभ्यर्थी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जनपद देहरादून में होमगार्ड्स की भर्ती के लिये आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी जनपद देहरादून, का स्थायी निवासी हो। अधिवास प्रमाण–पत्र हेतु जनपद देहरादून के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

2 पुरूष होमगार्ड्स स्वयंसेवक की जब–जब प्रशासन को ड्यूटी हेतु आवश्यकता होगी, ड्यूटी पर बुलाया जायेगा तथा जितने दिन ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे, उतने दिन का शासन द्वारा निर्धारित दैनिक ड्यूटी भत्ता के साथ–साथ शासन द्वारा अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं धुलाई भत्ता देय होगा।

3 एक अभ्यर्थी का एक ही आवेदन स्वीकार किया जायेगा एक से अधिक आवेदन पाये जाने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्रथम में उपलब्ध कराया आवेदन ही मान्य होगा।

4 आवेदन पत्र जिला होमगार्ड्स / ब्लॉक / तहसील / जिलाधिकारी / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / जिला सेवायोजन / जिला सूचना अधिकारी / सोल्जर बोर्ड आदि कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा प्रारूप के अनुसार स्वयं टंकित कराकर व्यक्तिगत रूप / डाक से कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।

5 आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि– दिनांकः 22.05.2026 की रात्रि 11.59 बजे तक।

6 शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम कार्यालय के सूचना–पट्ट, कार्यालय के फेसबुक पेज **Dehradun Homeguards** एवं विज्ञापन के माध्यम से पृथक से निर्गत किया जायेगा। बिना स्वप्रमाणित, अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, एवं किसी भी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जायेगा। आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

7 **शैक्षिक योग्यता** :– पुरूष होमगार्ड्स स्वयंसेवक पद के लिये अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से **दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना** अनिवार्य है।

8 आयु सीमाः– अभ्यर्थियों की आयु **दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिये।

9 उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश संख्या–1399 दिनांकः 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

10 उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिये शासनादेश संख्या–1244 दिनांकः 21.05.2005 द्वारा अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

11 अधिसूचना संख्या 6/01/72 कार्मिक–2 दिनांकः 25.04.1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेवा में अपनी सेवा अवधि कम करने की अनुमति है।

12 **आरक्षणः**– उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रदत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण अध्यादेश उत्तराखण्ड लोकसेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश, 2019 {उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 01 वर्ष 2019}, शासनादेश संख्या–252/XVIII(1)/2019-03(3)/2019 राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 28 फरवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या–123/XXX(2)/2019-30(1)VI/2019 कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–2 दिनांकः 29 अप्रैल, 2019 तथा समय–समय पर प्रचलित नियमों व प्रावधानों के अन्तर्गत देय होगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा जिन्हें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं हैं। आरक्षण का लाभ सम्बन्धित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए सबसे लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा ।

13 शारीरिक अर्हता/मापदण्ड :–

पुरूष अभ्यर्थी

मानक	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम	पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम
ऊँचाई	165 से0मी0	157.50 से0मी0	160 से0मी0
सीना बिना फुलाए	78.8 से0मी0	76.3 से0मी0	76.3 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.3 से0मी0	81.3 से0मी0

नोट– सीने में कम से कम 5 सें0मी0 का फुलाव होना आवश्यक है।
शारीरिक मानकों में छूट के लिये अनुमन्यता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र यथा (अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण–पत्र) धारित होना चाहिये।

14–चयन प्रक्रियाः–

(अ) शारीरिक मापदण्ड– शारीरिक मापतोल में असफल अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा ।

(ब) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**– शारीरिक परीक्षा के अंक अन्तिम मैरिट सूची में जोडे जायेंगे तथा शारीरिक परीक्षा हेतु निम्नलिखित आईटम क्रमवार कराये जायेंगेः–

क्र0 सं0	ईवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
01	दौड़ व चाल 02 कि0मी0 (पूर्णांक–10)	9.1–10 मिनट	05
		8.1–09 मिनट	07
		7.1–08 मिनट	08
		6.1–07 मिनट	09
		06 मिनट तक	10
02	क्रिकेट बॉल थ्रो (पूर्णांक–10)	50 मीटर	05
		55 मीटर	06
		60 मीटर	07
		65 मीटर	08
		70 मीटर	10
03	लम्बी कूद (पूर्णांक–10)	12 फिट	05
		13 फिट	06
		14 फिट	07
		15 फिट	08
		16 फिट	10

नोटः– शारीरिक मानकों में छूट के लिये अनुमन्यता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र यथा (अनुसूचित जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण–पत्र) धारित होना चाहिये।

उपरोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदण्ड–तालिका में उल्लिखित आईटम क्रमवार कराये जायेंगे तथा तथा किसी भी आईटम में न्यूनतम अहर्ता (**Minimum Criteria**) प्राप्त न कर पाने वाले अभ्यर्थी को वहीं से अनर्ह/अनुपयुक्त घोषित करते हुये चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

1. एन0सी0सी0बी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड के प्रमाण पत्र धारक/उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक/अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, पुत्री, पति या पत्नी (जैसी स्थिति हो) के लिये निर्धारित अंक :–
   क– एन0सी0सी0–बी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड – 03 अंक।
   ख– एन0सी0सी0–सी प्रमाण–पत्र – 05 अंक।
   ग– होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त/कार्यरत सदस्यों के अविवाहित पुत्र, अविवाहिता पुत्री, पत्नी, पति के लिये – 05 अंक।

(उत्तराखण्ड होमगार्ड्स के उन्ही वैतनिक/अवैतनिक सदस्यों के पुत्र, अविवाहिता पुत्री, पति या पत्नी को उक्तानुसार निर्धारित अंक इस दशा में ही प्रदान किये जायेगें, सम्बन्धित वैतनिक/अवैतनिक कार्मिकों के द्वारा बिना किसी व्यवधान के 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग मे पूर्ण की गयी हो।)

2. शैक्षिक योग्यता :– अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल रखी गयी है एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेगें :–

हाईस्कूल	08 अंक
इण्टरमीडिएट	08+01 अंक
स्नातक	08+02 अंक

3. खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित है, जो निम्नानुसार दिये जायेगें :–
   जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाडी – 02 अंक
   मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर का खिलाडी – 03 अंक
   राज्य–स्तर का खिलाड़ी – 05 अंक

   जिला/महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी को सम्बन्धित कॉलेज के प्रधानाचार्य, जिलास्तर के खिलाड़ी हेतु जिला क्रीडा अधिकारी अथवा मण्डल स्तर के खिलाडी हेतु क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनल स्पोर्टस एसोसिएशन, विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्रीडा अधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्टस एसोसिएशन अथवा उत्तराखण्ड खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगें।

4. वाहन चालक :– वाहनों के वैध ड्राइविंग लाईसेंस धारक को 05 अंक निम्नानुसार प्रदान किये जायेगें, किन्तु यह आवश्यक होगा कि ड्राइविंग लाईसेंस भर्ती की विज्ञापन तिथि से 01 वर्ष पूर्व का हो :–
   क– भारी वाहन चालक – 05 अंक
   ख– हल्का वाहन चालक – 03 अंक

5. परीक्षाफल :– शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों तथा सम्बन्धित श्रेणी के लिये नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों के दृष्टिगत रिक्ति के सापेक्ष अन्तिम मैरिट सूची बनायी जायेगी। रिक्तियों के सापेक्ष परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त प्राप्तांक सूची (शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता, एवं अधिमान अंको को जोड़कर) के आधार पर विद्यमान आरक्षण नियमों, वरिष्ठता निर्धारण हेतु निर्धारित नियमों के दृष्टिगत प्रवीणता सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, का चयन किया जायेगा। यदि 02 अभ्यर्थियों की जन्मतिथि भी एक समान होती है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

योग्यता	अधिकतम देय अंक
शारीरिक दक्षता	30
शैक्षिक योग्यता	10
एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाइड	05
होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवा निवृत्त/कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए	05
खेलकूद	05
वाहन चालक	05
कुल योग––	60

6. स्वास्थ्य परीक्षण– चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कराया जायेगा। दृष्टि एक आँख से 6/6 और दूसरी आंख से 6/9 से कम नहीं होनी चाहिये अर्थात बिना चश्मा के दाहिनें हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिये दाहिनीं आंख के लिये 6/6 तथा बायें हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिये बायीं आंख के लिये 6/6 होनी चाहिये वर्ण– अन्धता से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिये। सटा घुटना, सपाट पैर, बो–लैग, बेरी कोस वैन, दिव्यांगता और अन्य विकृतियां जो ड्यूटी बाधा पैदा करे ऐसे अभ्यर्थी को अयोग्य माना जायेगा। अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जायेगा किसी भी संशय की स्थिति में प्रकरण को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा।

7. चरित्र सत्यापनः— पुरूष होमगार्ड्स स्वयंसवेक के रूप में अन्तिम रूप से चयनित एवं चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन पुलिस प्रमाणीकरण के आधार पर किया जायेगा।
8. अन्तिम रूप से चयनित पुरूष होमगार्ड्स को होमगार्ड्स अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन प्रारम्भिक नियुक्ति 03 वर्ष के लिए होगी, जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत की गयी अवधि भी सम्मिलित है जो बाद में होमगार्ड्स स्वयंसेवक की सहमति से राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है।
9. अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये व्यक्तिगत रूप से अवगत नहीं कराया जायेगा भर्ती सम्बन्धी समस्त जानकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं फेसबुक पेज से प्राप्त की जा सकती है ।
10. होमगार्ड्स भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा भर्ती के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए होमगार्ड्स विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
11. अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों की जांच पर अनुपयुक्त/निरस्त अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक मापदण्ड परीक्षा से पूर्व कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं फेसबुक पेज से प्राप्त की जा सकती है ।
12. होमगार्ड्स भर्ती से सम्बन्धित समस्त निर्णय एवं अधिकार भर्ती बोर्ड के अधीन निहित एवं सुरक्षित रहेंगे।

(15) अन्यः— अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड्स विभाग द्वारा करवाया जायेगा तथा सत्यापन में सही पाये जाने की दशा में ही नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

- फर्जी शैक्षिक प्रमाण—पत्र/अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अथवा सत्यापन के दौरान कूट रचित/अमान्य पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत प्रावधानो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराते हुये प्रासंगिक धाराओ में कठोर वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।
- होमगार्ड्स स्वयंसेवको की सीधी भर्ती नियमानुसार अनियमितता रहित पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पादित करायी जायेगी, जिसमें जीरो टॉलरेन्स फॉर करप्शन की नीति रहेगी।
- दलालों से सावधान रहें, किसी के बहकावे में न आयें। इस प्रकार की कोई घटना संज्ञान में आने पर तुरंत निम्न दूरभाष पर सूचित करें।

TOLL FREE NUMBER(S):

- 1064 (Helpline No. For Anti Corruption)
- 0135-2725424
- 0135-272 1371 (For Complaints)
- 94565 92300 (For Whatsapp Support)
- 8826881525 (Distt Commandant Homeguards Dehradun.)

- आवेदन करने वाले अभ्यर्थीयों के अनुक्रमांक कार्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा देहरादून होमगार्ड्स (**Dehradun Homeguards**) के फेसबुक पेज पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

16— किसी अनाचार जैसे महत्वपूर्ण सूचनाओं को छिपाने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार मर्ती बोर्ड का होगा। अभ्यर्थी अपराधिक मामलों में वांछित/सजायाफ्ता न हो तथा उसके विरूद्ध कोई अभियोग पंजीकृत / विचाराधीन न हो।
17— अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र/अभिलेखों की पूर्ण एवं अपूर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं अभिलेखों की जांच कर पूर्ण/अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने की सूचना के आधार पर उपयुक्त/अनुपयुक्त/निरस्त अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक नापजोख परीक्षा से पूर्व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।
18— रिक्तियों की संख्या घट—बढ़ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19— आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य हैः—

1– 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीनफोटो (स्वप्रमाणित)।

2– शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति जिसमें किसी एक में जन्मतिथि अंकित हो।

3– स्थायी निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो शासनादेश संख्या 2588/1–4/सा0प्र0/2001 दिनांक 20 नवम्बर 2001 में दी गई प्रकिया के अनुसार निर्गत हो) की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

4– जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की स्वप्रमाणित छाया प्रति।

5– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से सम्बन्धित (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ।

6– शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो शासनादेश संख्या 256/18–प्रा०शि–2–88–20 (एस०बी०)/82 दिनांक 16.01.1982 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्गत हो) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

7– चरित्र प्रमाण पत्र।

8– राजकीय/अर्द्धशासकीय विभाग में सेवारत कर्मचारी अपने आवदेन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

<u>नोटः–</u>

1. आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी पूर्ण एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी।

2. फर्जी शैक्षिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखं प्रस्तुत किये जाने अथवा सत्यापन के दौरान कूट रचित/अमान्य पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि सम्मत प्रावधानो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराते हुये प्रासंगिक धाराओ में कठोर वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।

30/04/26

(निर्मल जोशी)
जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स
देहरादून।

<u>प्रतिलिपिः–</u>

1– समस्त अवैतनिक अधिकारी, होमगार्डस, देहरादून को भर्ती के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
2– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी जनपद देहरादून।
3– जिला सेवायोजन अधिकारी/जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी, देहरादून।
4– जिला सूचना अधिकारी देहरादून को उक्त विज्ञप्ति को निःशुल्क जनहित में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
5– प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन देहरादून/समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष देहरादून।
6– समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी, देहरादून।
7– जिला होमगार्डस कार्यालय देहरादून के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
9– जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
10–मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर को सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
11–कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

— :: आवेदन—पत्र ::—

उत्तराखण्ड होमगार्ड्स विभाग में होमगार्ड्स स्वयं सेवक (पुरूष/महिला) के पद पर चयन हेतु।

अनुक्रमांक...(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु) भर्ती केन्द्र का नाम :....................................

हाल ही में लिये गये पासपोर्ट साईज का स्व हस्ताक्षरित फोटोग्रॉफ अभ्यर्थी यहाँ चिपकाये

1— अभ्यर्थी का नामः— (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी में) ....
(मो0नं0) ....

2— पिता/पति का नाम (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी में) ....

3— जनपद का नाम जिसके लिये अभ्यर्थी आवेदन कर रहा/रही होः— ....

4— स्थायी पताः— ....
....
....

5— पत्र व्यवहार का पताः— ....
....

6— जन्मतिथि (हाईस्कूल अंकपत्र/प्रमाण—पत्र के आधार पर):—
(क) अंकों में ....
(ख) शब्दों में ....

दिनांकः 01—01—2026 को आयु वर्ष........................ माह.................. दिन ....

7— (क) नागरिकता .... (ख) धर्म.............................. (ग) जाति..........................

8— **शैक्षिक योग्यताः—**

कमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्त श्रेणी
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

9— अभ्यर्थी का व्यवसाय ....

10— शारीरिक माप (अभ्यर्थी द्वारा न भरा जाये) :
(1) ऊँचाई ....से0मी0 (2)सीने की माप बिना फुलाये.................................से0मी0
(3)सीने की माप फुलाने पर..................................से0मी0 (4) वजन ....कि0ग्रा0

11— स्थानीय दो व्यक्तियों का नाम व पता, जो अभ्यर्थी के सम्बन्ध में जानकारी रखते हो लेकिन उनके रिश्तेदार न हों और जो चाल—चलन के बारे में जानकारी दे सके।
1— नाम.. पता...दूरभाष/मोबाईल
2— नाम.. पता... दूरभाष/मोबाईल

12— चरित्र प्रमाण पत्र (अन्तिम शिक्षण संस्थान प्रधान द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जहॉ अभ्यर्थी ने अन्तिम शिक्षा प्राप्त की हो अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र) की मूल प्रति संलग्न की जाये।

13– यदि अभ्यर्थी निम्न में से किसी श्रेणी का हो तो उसे अंकित करें तथा उसका प्रमाण पत्र नत्थी करें। प्रमाण पत्र न लगाने की दशा में अभ्यर्थी को वर्णित श्रेणी का लाभ नही दिया जायेगा तथा उसे अनारक्षित श्रेणी में रखा जायेगा।

(क) उर्ध्व आरक्षण:–

1– अनुसूचित जाति ☐ 2– अनुसूचित जनजाति ☐
3– अन्य पिछडी जाति ☐ 4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ☐

(ख) क्षैतिज आरक्षण:–

1– भूतपूर्व सैनिक ☐ 2– स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित ☐
3– उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे ☐ 4–उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित ☐

14– अन्य अर्हताओं के सम्बन्ध में अभ्यर्थी निम्नानुसार श्रेणी को अंकित करें तथा सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें:–

(क) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड व होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक/अवैतनिक के सदस्य :–

1– एन0सी0सी0–बी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड ☐ 2– एन0सी0सी0–सी प्रमाण पत्र ☐
3– होमगार्ड्स के अवैतनिक व वैतनिक सेवानिवृत्त/कार्यरत सदस्यों के पुत्र, अविवाहित पुत्री, पत्नी, पति के लिए ☐

(ख) शैक्षिक योग्यता:–

1– हाईस्कूल ☐ 2– इण्टरमीडिएट ☐ 3– स्नातक ☐

(ग) खेलकूद:–

1– जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी ☐
2– मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी ☐
3– राज्य स्तर का खिलाड़ी ☐

(घ) वाहन चालक:–

1– भारी वाहन चालक ☐ 2– हल्का वाहन चालक ☐

15– मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचनाएँ मेरी जानकारी तथा अभिलेखानुसार सही हैं और दी जाने वाली सूचनाओं में कोई सुसंगत तथ्य छिपाया नहीं गया है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्र/अभिलेख पूर्णतया सही है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं रहा/रही हूँ तथा मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक मामला/अभियोग दर्ज नहीं है। मैंने इस जनपद के अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य के किसी अन्य जनपद में आवेदन पत्र प्रेषित नहीं किया है। साथ ही जनपद के अन्तर्गत मेरे द्वारा एक ही जनपद में आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। यदि मेरा यह कथन अथवा आवेदन पत्र में अंकित/प्रस्तुत कोई प्रमाण–पत्र/अभिलेख/विवरण/सूचना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर असत्य या फर्जी पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा व भविष्य में मेरे द्वारा किसी भी सक्षम स्तर पर प्रत्यावेदन देने का अधिकार नहीं होगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर...
अभ्यर्थी का नाम...

स्थान:– ....
दिनांक:– ....

आवश्यक संलग्नक:–

1– आवेदन पत्र पर आवेदक की हाल ही में खिचवायी गयी स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चस्पा की गयी हो तथा इसके अतिरिक्त 02 पासपोर्ट साईज फोटो भर्ती के समय साथ लाना आवश्यक है।

2– शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, आयु प्रमाण–पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति/स्वतन्त्रता सेनानी के आश्रित/भूतपूर्व सेनिक/पर्वतीय निवास/स्थाई निवास/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

3– चरित्र प्रमाण–पत्र एवं सरकारी/अर्धसरकारी विभाग से कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र, स्वघोषणा पत्र।

स्वघोषणा–पत्र

मैं,..(अभ्यर्थी का नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी.... ....,आयु...............................वर्ष, निवासी....... ...., यह शपथपूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि :–

1. मैंने होमगार्ड्स भर्ती हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें संलग्न सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्र/अभिलेख पूर्णतः सत्य, सही एवं वैध हैं।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/अभिलेख फर्जी, कूट रचित, परिवर्तित या भ्रामक नहीं है।
3. यदि किसी भी स्तर पर सत्यापन के दौरान मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी शैक्षिक प्रमाण पत्र/अभिलेख फर्जी, कूट रचित अथवा अमान्य पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध विधि सम्मत प्रावधानों के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा सकता है।
4. ऐसी स्थिति में मेरे विरुद्ध प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर वैधानिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी तथा मेरी अभ्यर्थिता/नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकती है, जिसके लिए मैं स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
5. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार की जानकारी जानबूझकर छिपाई नहीं है।

मैं यह घोषणा–पत्र पूर्णतः सत्य, स्वेच्छा एवं बिना किसी दबाव के दे रहा/रही हूँ।

दिनांकः.. हस्ताक्षर..

स्थानः .... अभ्यर्थी का नामः..

आवेदित जनपदः... मोबाईल नम्बर :..

होमगार्ड्स स्वयंसेवक (पुरूष) भर्ती परीक्षा 2026 जनपद–देहरादून
प्रवेश पत्र/पावती

हाल ही में लिये गये पासपोर्ट साईज का स्वःहस्ताक्षरित रंगीन फोटोग्राफ अभ्यर्थी यहाँ चिपकायें

अनुक्रमांक– ....
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

1– अभ्यर्थी का नाम– ....
2– पिता का नाम– ....
3– जन्मतिथि– ....
4– आरक्षित श्रेणी/जाति– ....
5– संवर्ग (पर्वतीय/मैदानी)– ....
6– स्थायी पता– ....
....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर–......................................

आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/कार्यालय की मुहर